न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धर्थ पालागीचामी आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 117/2020
जी.सी.एस.एम. नं. 2020/00287
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18/11/22

1. भूरी पत्नि विजेन्द्रा जाति बंजारा निवासी ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. पूरन पुत्र मुक्खा जाति बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
2. अशोक पुत्र रामसिंह बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
3. अजयपाल पुत्र धूमा बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
4. रामरूप पुत्र धूमा बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
5. रनधीर पुत्र वीरीसिंह बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
6. राकेश पुत्र रामसिंह बंजारा निवासी जहांगीरपुर तहसील नदबई भरतपुर (राज0)

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद (प्रार्थी की ओर)

निर्णय

अन्तर्गत धारा **212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी शीर्षक दावा न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खाता स. 73 के आराजी ख0न0 1100 रकवा 0.17, 1101 रकवा 0.09, 1104 रकवा 0.17, 1105 रकवा 0.07, कुल किता 4 रकवा कुल 0.50 हैक्ट. वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर स्थित है। विवादित आराजी में सायल 1/2 हिस्से की व 1/2 हिस्से का तर. प्रतिवादीगण स. 7 खातेदार काश्तकार है।
3. यह है कि विवादित आराजी में सायल 1/2 हिस्से की खातेदारी काश्तकारी है तथा सायला अब तक अपने रकवे पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही थी। लेकिन गैरसायलान स. 1 लगायत 6 ने सायला जब भी अपने रकवा को बोने जोतने जाती है तो गैर सायलान स. 1 लगायत 6 सायला खातेदारी आराजी को हडपने की नीयत से एक गिरोह बना रखा है तथा अब सायला जब भी अपने रकवे को बोने जोतने जाती है तो गैर सयालान लाठी डन्डो से लैंस होकर सायला के खेत पर पहुॅच जाते है तथा सायला को उसकी खातेदारी की आराजी को बोने जोतने नहीं देते है।

सहायक कलक्टर
नदबई, जिला भर

Scanned with CamScanner

अगर सायला अपने रकवा में कोई फसल बो देती है तो गैर सायला उसे जोतकर बर्बाद कर देते है। सायला ने रवि की फसल में अपना 1/2 हिस्से पर ज्वार की फसल बोई थी जिसको गैर सायला ने जोतकर बर्बाद कर दिया था। जिसकी सायला ने पुलिस कार्यवाही की थी लेकिन गैर सायला सायला की खातेदारी रकवा को हड़पने पर उतारू हो गये। जबकि ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। गैर सायल जबरन लठ के बल पर सायला के खातेदारी के रकवा में मजाहमत करते है। तथा सायला की फसल को बोने नही देते है। ऐसी स्थिति में सायला गैरसायलान को जरिये अदालत पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

4. यह है कि गैर सायलान ने दिनांक 13.10.20 को मुकाम जहांगीरपुर पर खुलआम धमकी दी अब हम विवादित आराजी पर जबरन बोने जोते नही देगें व कब्जा करेंगे प्रार्थी को आराजी मुतनाजा से बेदखल करेग। अगर गैरसायलान इस धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद धन राशि से नही हो सकेगी। इसलिए सायलान गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेज्ञाया से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। कि वह विवादित आराजी में सायला के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की मंदाखलत मजाहमत नहीं करे व सायला को जोतने से ना रोके।

5. यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किये गये। गैरसायलान की तलवी होने पर न्यायालय हाजा कोई भी उपस्थित नही हुऐ। गैर सायलान के एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

6. सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073 से 2076 वाके ग्राम झारकई ,

7. गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया।

8. सायला के विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :–

9. <u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत् का पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। विवादित आराजी खाता स. 73 के आराजी ख0न0 1100 रकवा 0.17, 1101 रकवा 0.09, 1104 रकवा 0.17, 1105 रकवा 0.07, कुल किता 4 रकवा कुल 0.50 हैक्ट. वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी में सायल 1/2 हिस्से की व 1/2 हिस्से का तर. प्रतिवादीगण स. 7 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी प्रकार से कोई लेना देना नही है ना ही किसी प्रकार को कोई संबंध व सरोकार है गैरसयालान सायला की खातेदारी कि आराजी में किसी प्रकार की दखल व मदाखलत मजाहमत नही करने का व सायला को जातने व बोने से रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

सहायक कलेक्टर
नदबई, जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

इस प्रकार प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः विवादित आराजी को सायला के हिस्से तक मदाखतल मजाहमत ना करने व सायला को जोतने बोने से नही रोकने हेतु हेतु गैरसायलान को पावंद किया जाना उचित है।

10. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।
11. अपूर्ण क्षति :– चूंकि सायला की खातेदारी कि आराजी है उक्त विवादित आराजीयात का खुर्द –बुर्द होती है तथा जोतने वोने से रोकते है तो अपूर्ण क्षति भी सायला को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता स. 73 के आराजी ख0न0 1100 रकवा 0.17, 1101 रकवा 0.09, 1104 रकवा 0.17, 1105 रकवा 0.07, कुल किता 4 रकवा कुल 0.50 हैक्ट. वाके ग्राम जहांगीरपुर तहसील नदबई पर स्थित है, पर सायल 1/2 हिस्से की आराजीयात पर अप्रार्थीगणो को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि सायला के 1/2 हिस्से तक विवादित आराजीयत में किसी प्रकार दखलान्दाजी, मदाखलत मजाहत ना करें एवं जातने बोने से ना रोके।

निर्णय आज दिनांक 18/11/22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ पालानीचामी)
सहायक कलक्टर
नदबई, जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner